कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

E-mail :- dfonsagar@mpforest.org: dfotnsagar@mp.gov.in: Phone & Fax No. :- 07582-236337

सागर, दिनांक – 4.7.18

कमांक / मा.चि. / 18 / 1708

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
संभाग कमांक–01, सागर (म.प्र.)

विषय :- सागर जिले के अंतर्गत कड़ान मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक / एफ–3 / 81 / 2016 / 10–11 / 12 / 1896 दिनांक 02.07.2018.

— 0 —

विषयांकित परियोजना में इस वन मंडल की आवेदित वनभूमि रकवा 248.76 हे. की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक / 8–11 / 2018–एफ सी. दिनांक 18.06.2018 से जारी की गयी है, जारी की गयी स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन कराने हेतु संदर्भ से निर्देश प्राप्त हुए है। शर्तों के पालन का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	शर्त कमांक	शर्त का विवरण	केम्पा मद में जमा करने हेतु निर्धारित राशि
1	2	3	4
1	VII	वनभूमि के समतुल्य हस्तांतरित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण की राशि	5,18,66,204
2	VIII	वृक्षारोपण की कुल राशि के अतिरिक्त 25% राशि	1,29,66,551
3	IX	प्रभावित वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि 6.26 लाख प्रति हे. की दर से	15,57,23,760
4	XIII	केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान रकवा 1812.43 हे. की राशि	1,23,26,244

1) शर्त कमांक – I, IV, XI, XII, XIV to XXVI, XXVIII to XXXI के पालन हेतु पृथक–पृथक लिखित वचन–पत्र 03 प्रतियों में प्रस्तुत किये जावें।

2) शर्त कमांक – II, III के संबंध में पालन संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

3) शर्त कमांक – V वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैर वनभूमि स्थल को 1:50000 सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर मार्क कर प्रस्तुत की जावे।

4) शर्त कमांक – X के संबंध में सेफ्टीजोन की राशि केम्पा मद में जमा की जावे।

5) शर्त कमांक – XXVII अनुसार प्रभावित वनभूमि का परियोजना लागत पर स्थायी चिन्ह लगाकर सीमांकन किया जावे, सीमांकित क्षेत्र में लगाये गये सीमेन्ट कांकीट के पिलर पर अनुकमांक, अग्रमान एवं दिकमान तथा पिलर से पिलर की दूरी एवं जी.पी.एस. रीडिंग पेंट से लिखी जावे।

निर्धारित समस्त राशियों का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के ई–पोर्टल के माध्यम से किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का पालन कर पालन प्रतिवेदन, आवश्यक लिखित वचन–पत्र एवं राशियां जमा करने का विवरण 04 प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर

पृ.कमांक / मा.चि. / 2018 / सागर, दिनांक –

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल को उनके संदर्भ में सादर सम्प्रेषित।

2) मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

3) वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वन मंडल को सूचनार्थ। परियोजना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न है। प्रभावित वनभूमि के समतुल्य आपके वन मंडल में हस्तांतरित भूमियों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि आवेदक विभाग से जमा करवाने बावत् मांग पर जारी करने का कष्ट करें।

4) उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर को सूचनार्थ। परियोजना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न है, रोपित शर्त कमांक – IV के अनुसार हस्तांतरित भूमियों का मौका स्थल निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण स्थलों में इस आशय का परीक्षण कर लिया जावे कि प्रति हे. 1000 पौधे रोपित किया जाना संभव है, यदि संभव न हो तो शेष पौधों के रोपण के लिये वनभूमि चयनित कर योजना प्रस्तुत की जावे ताकि आवेदक विभाग से राशि जमा करवायी जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

03 एवं 04 के लिये

Sd

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर

पृष्ठांकन क्रमांक 2331 / कार्य / 18 सागर दि. 6.7.18
प्रतिलिपि :,
अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.1 [illegible] की ओर सूचनार्थ कर वांछित जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
संल. उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1
सागर (म.प्र.)